



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 29 मार्च, 2011 ई0

चैत्र 08, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 116/XXXVI(3)/2010/49(1)/2009

देहरादून, 29 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011” पर दिनांक 29 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 01 वर्ष, 2011 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2011
[उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01 वर्ष 2011]

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेन्शन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।
- धारा 1 का प्रतिस्थापन 2. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेन्शन) अधिनियम, 2008 [यथा संशोधित अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2010)] (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 की उपधारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—
“(2) धारा 23 क के सिवाय यह दिनांक 01 अप्रैल 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।”
- धारा 15 का प्रतिस्थापन 3. मूल अधिनियम की धारा 15 के परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—
“परन्तु यह कि यदि किसी सदस्य द्वारा लिये गये अग्रिम को ब्याज सहित वापस कर दिया गया हो तो ऐसे किसी सदस्य को उसके अनुरोध पर पुनः अग्रिम की सुविधा अनुमन्य की जा सकती है।”
- धारा 23-क का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 23-क के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नवत् स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-
“स्पष्टीकरण-1— सदस्य तथा पूर्व सदस्य के सम्बन्ध में आश्रित से ऐसे सदस्य के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित अधिमान क्रम में उसके पति या उसकी पत्नी, अवधस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता या माता अभिप्रेत है।
स्पष्टीकरण-2— ‘पूर्व सदस्य’ से ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय से पेन्शन प्राप्त कर रहा है।”

आज्ञा से,
राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand State Legislature (Emoluments and Pension of Members ((Amendment) Act, 2011' (Adhiniyam Sankhya 01 of 2011)) :-

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 March, 2011).